

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 192

15 Falgun, 1940(S)

Ranchi, Wednesday, 6th March, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

ORDER 6th March, 2019

JHARKHAND GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019

Order No. 01/2019-State Tax

- **S.O. No. 28 Dated- 6th March, 2019** WHEREAS, sub-section (1) of section 10 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that-
- (i) a registered person engaged in the supply of services, other than supply of service referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act, may opt for the scheme under the said subsection;
- (ii) a person who opts for the said scheme may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act), of value not exceeding ten per cent. of turnover in a State or Union territory in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher;
- AND WHEREAS, clause (a) of sub-section (2) of section 10 of the said Act provides that the registered person shall be eligible to opt under sub-section (1), if, save as otherwise provided in sub-section(1), he is not engaged in the supply of services;

Jharkhand Gazette (Extraordinary), Wednesday, 6th March, 2019

AND WHEREAS, rendering of services as part of the savings and investment practice of business, by

way of extending deposits, loans or advances, in so far as the consideration is represented by way of

interest or discount, is resulting in their ineligibility for the aforesaid scheme, causing hardships to a lot

of small businesses and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the

provisions of section 10;

2

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Jharkhand Goods and

Services Tax Act, 2017 and in supersession of the Jharkhand Goods and Services Tax (Removal of

Difficulties) Order, 2017, No.01/2017-State Tax, dated the 18th October, 2017, published in the

Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide Letter No. 3883 dated the 18th October, 2017, except as

respects things done or omitted to be done before such supersession, the State Government, on

recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely: —

1. Short title. —This Order may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Removal of

Difficulties) Order, 2019.

2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that the value of supply of exempt services

by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by

way of interest or discount, shall not be taken into account-

(i) for determining the eligibility for composition scheme under second proviso to sub-section

(1) of section 10;

(ii) in computing aggregate turnover in order to determine eligibility for composition scheme.

3. This order shall be deemed to be effective from 1st February, 2019.

Prashant Kumar,

Secretary-cum-Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

आदेश 6 मार्च, 2019

झारखण्ड माल एवं सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019 आदेश सं. 01/2019- राज्य कर

एस. ओ. सं. 28 दिनांक- 6 मार्च, 2019-- झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1) यह उपबंधित करती है कि --

- (i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में लगा है, उक्त उपधारा के अधीन स्कीम का चयन कर सकेगा;
- (ii) ऐसा व्यक्ति जो उक्त स्कीम का चयन करता है, वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य या संघराज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त के 10 प्रतिशत से अनिधक मूल्य या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, की सेवाओं (उनसे भिन्न, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट) की पूर्ति कर सकेगा;

और, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उपधारा (1) के अधीन चयन का पात्र होगा, यदि उक्त उप-धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;

और, कारबार पद्धित की बचत और निवेश के भाग के रुप में सेवाएं प्रदान करना जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है परिणामस्वरुप उपरोक्त स्कीम के लिए उनकी अपात्रता से लघु कारोबारों को अत्यधिक किठनाई उत्पन्न होती है और इसके कारण उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी करने में कितपय किठनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

अतः अब, राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और झारखण्ड के राजपत्र,

असाधारण में पत्रांक 3883, तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित संघराज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (किठनाई निवारण) आदेश, 2017, संख्या 1/2017- राज्य कर, तारीख 18 अक्तूबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- 1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019 है।
- 2. किठनाइयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा --
 - (i) धारा 10 की उप-धारा (1) के दसूरे परंतकु के अधीन कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में;
 - (ii) कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारावर्त की गणना करने में ।
- 3. यह आदेश 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

प्रशांत कुमार, सचिव-सह-आयुक्त ।
